राष्ट्रीय हिन्दी मेल, भोपाल

27 MAY 2011

जयराम द्वारा वन विभाग में IT के उपयोग की प्रशंसा

नगर संवाददाता

भोपाल, 26 मई। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने बुधवार शाम को अपने भोपाल भ्रमण के दौरान वन अधिकारियों को संबोधित किया। बैठक में वन मंत्री श्री सरताज सिंह, अपर मुख्य सचिव, वन, श्री एम.के. राय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री रमेश के. दवे एवं सचिव मुख्यमंत्री एवं खनिज संसाधन विभाग के अतिरिक्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में किये गये कार्य का प्रस्तुतीकरण किया गया। विभाग द्वारा बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्णय लेने, पारदशिर्ता लाने, त्वरित नागरिक सेवा एवं प्रशासनिक क्षमता की वृद्धि के लिये किया जा रहा है। प्रस्तुतीकरण में विभाग द्वारा फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम, वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंट सिस्टम, फारेस्ट डवेलर्स सर्वे सिस्टम एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। केन्द्रीय वन राज्य मंत्री को यह भी बताया गया कि विभाग अन्य राज्यों के शासकीय विभागों को वेब एप्लीकेशन परामर्श, डिजीटल मैप तकनीकों का स्थानान्तरण आदि जैसे क्षेत्रों में सेवाऐं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने वन विभाग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के **(शेष पेज 9 पर)**

जयराम द्वारा वन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रशंसा

प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत शासन तथा अन्य प्रदेशों के लिए भी इस तरह के साफ्टवेयर तैयार करने के लिये मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का सहयोग लिया जावेगा। श्री जयराम रमेश ने बैठक में सुझाव दिया कि केम्पा के प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला भोपाल में आयोजित की जाए। कार्यशाला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि भी उपलब्ध रहें। वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के वन विभाग को वनों एवं वन्य-प्राणियों के प्रबंधन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाये जायें। अपर मुख्य सचिव, वन ने केम्पा फंड की राशि समय पर जारी करने का अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष केम्पा में जमा राशि की 10 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश को उपलब्ध करवाई जाएगी।